प्रतिलिपि आदेश दिनांक 3-7-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रकरणक्र0 नि0 1345-तीन/11 विरुद्ध आदेश दिनांक 27-4-11 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 503/अ-6/2006-2007.

दुर्गा कुशवाहा तनय गज्जू कुशवाह
निवासी मागना तहसील जतारा
जिला टीकमगढ म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

महिला बिटटन पुत्री गज्जू कुशवाह
पत्नि बाबूलाल कुशवाह
निवासी चकरा तिगैला टीकमगढ --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1343/III/2011 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3.7.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 503/अ–6/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–11 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ पेशी 30–4–2013 को आवेदक मय अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा उसके व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण आगे न चलाये जाने की प्रार्थना की, जिस पर पूर्व पेशी 29–5–14 को अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि वह आवेदक को व्यक्तिशः पहंचानते हैं , उन्होंने आर्डरशीट के हाशियें में तद्नुसार पहंचानने की टीम अंकित की। 3/ व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक व्दारा निगरानी आगे नहीं चलाये जाने की मांग हेतु प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 23 नियम 1 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस किया जाय, तदुपरांत प्रकरण अंक से कम करते हुये रिकार्ड रूम में जमा किया जाय। (हस्ताक्षर) सदस्य	